कार्यालय, जिला पंचायत, विदिशा (म.प्र)

कमांक/2139 /एमडीएम/जि.पं/2017 विदिशा दिनॉक 16/3/2017

विदिशा नगर पालिका क्षेत्रांर्गत संचालित शालाओं/ ऑगनवाड़ियों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु स्वंयसेवी संस्थाओं/स्वसहायता समूह/समितियों के चयन हेतु

"Experession of interest (EOI)"

विदिशा नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत संचालित शालाऐं 58 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज विद्यार्थी लगभग 6112/ऑगनवाड़ियों में दर्ज बच्चों/गर्भवती धात्री महिलाओं की लगभग संख्या 13729 को मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने हेतु **"एक्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट"** आमंत्रित कर चयन किया जाना है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम केन्द्रीयकृत किचिन केन्द्र के संचालन हेतु अनुभवशील निर्धारित योग्यता धारी पंजीकृत संस्थाओं/समूह/समितियों के आवेदन पत्र www.mpeproc.gov.in पर दिनांक 22.03.2017 से समय 02:00 बजे से दिनांक 06.04.2017 तक सांय 02:00 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क 2000 (सर्विस टेक्स अतिरक्त) देय कर क्रय किया जा सकता है। आवेदन सबंधी दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 06.04.2017 को सांयकाल 05 बजे तक रहेगी।

"एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट" से सबंधी आवेदन पत्र हेतु संस्थाओ की योग्यता/पात्रता/अनुभव/ कार्य संचालन सबंधी विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय एकीकृत बाल विकास विभाग विदिशा, जिला पंचायत कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय विदिशा, के सूचना पटल एवं vidisha.nic.in पर देखी/पढ़ी जा सकती है। जिला पंचायत विदिशा की कार्यालयीन शाखा – मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ से भी कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदक अपना आवेदन निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपलोंड करने के पश्चात् हार्डकॉपी में **रूपये दो लाख धरोहर राशि का डी.डी. अथवा बेंकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा** के नाम संलग्न कर कार्यालय जिला पंचायत विदिशा में दिनांक 10.04.2017 तक कार्यालयीन समय 05.30 बजे तक जमा करेंगें।

ऑनलाईन आवेदन पत्र ही मान्य होगे। संस्था का आवेदन की स्वीकृति /अस्वीकृति सबंधी कलेक्टर जिला विदिशा का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन विवाद का कार्य क्षेत्र विदिशा रहेगा। अंतिम दिनांक 10.04.2017. **समय 05:30** के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगें। डाक के विलंब के लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2017 **समय 11 बजे** जिला पंचायत विदिशा में समिति के समक्ष खोले जावेगें तद् दिनांक को ही संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी की जावेगी। प्रीलिमिनरी स्कूटनी मे पात्र संस्थाओं को दिनांक 13.04.2017 दोपहर 02 बजे अपनी कार्ययोजना सबंधी गतिविधियों का प्रेजेन्टेशन समिति के समक्ष कार्यालय जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रस्तुत करना होगा। संस्था का चयन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन समीति की अनुशंसा पर किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

कार्यालय, जिला पंचायत, विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक 5184/5 A/जि.पं/ 2017/ विदिशा, दिनांक 14/03/2017

:: विदिशा जिले की विदिशा विकासखंड अंतर्गत शहरी /नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाले प्राथमिक/माध्यमिक शासकीय शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 8747/22/वि–9/ एमडीएम/2016 भोपाल दिनांक 26.07.2016 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन **सामुदायिक केन्द्रीयकृत किचिनशेड व्यवस्था** के माध्यम से किया जाना है। जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र की समस्त शासकीय, शासन से प्राप्त अनुदान शालायें, मदरसें जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता दी जा रही है, प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन निर्धारित मेनु अनुसार किया जाना है।

साप्ताहिक मेनु प्राथमिक/माध्यमिक शाला :–

सोमवार	रोटी के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी ।
मंगलवार	पूरी के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी के साथ चने की दाल एव मिक्स सब्जी।
गुरूवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव व पकौड़े वाली कढ़ी।
शुक्रवार	रोटी के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी।
शनिवार	पराठा के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी।

प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन दिवस सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दूध वितरण

मध्यान्ह भोजन के निर्धारित मेनु अनुसार भोजन के अवयव (प्रति विद्यार्थी प्रति शैक्षणिक दिवस :–

क्र.	अवयव	प्राथमिक शाला के लिये मात्रा	माध्यमिक शाला के लिये मात्रा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	ग्राम गेंहू/चावल	100 ग्राम	150 ग्राम	
2	दाल	20 ग्राम	30 ग्राम	
3	सब्जी (हरी एवं पत्तेदार)	50 ग्राम	75 ग्राम	
4	दाल व सब्जी में छोंक के लिये तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम	
5	नमक, मिर्च व मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	

पोषक मानक, मेनु व दर

क्र	शाला का स्तर	मेनु	रोटी एवं पूड़ी की संख्या प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस	पोषक मानक		लागत राशि प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस
				केलोरी	प्रोटीन	
1	2	3	4	5	6	7
1	प्राथमिक शाला	रोटी/चावल के साथ दाल व सब्जी	सामान्य आकार की 03 रोटी एवं पूड़ी वाले दिन कम से कम 04 पूड़ी	450	14	4.13/–
2	माध्यमिक शाला	रोटी/चावल के साथ दाल व सब्जी	सामान्य आकार की 04 से 05 रोटी एवं पूड़ी वाले दिन कम से कम 06 पूड़ी	700	20	6.18/–

टीप :– मध्यान्ह भोजन हेतु खाद्यान्न (गेंहू/चावल) व प्राथमिक शालाओं के दूध पावडर निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

मध्यान्ह भोजन के संबंध में भारत सरकार एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शर्ते व निर्देश मान्य होगें।

dk;kZy; dyDVj ftyk fofn'kk ¼e-iz-½

विदिशा नगर क्षेत्रान्तर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं/समूहों/समितियों के चयन हेतु

,Dli:'ku vkQ bVj:LV "(EOI)" :!' ik#!k 'k!: $

1. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थायें जो फर्म्स एवं सोसायटी/कॉपरेटिव सोसायटी /ट्रस्ट/कम्पनी के रूप में शासकीय नियमों के अनुसार पंजीकृत है।
2. पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीप(पी0पी0पी0) मॉडल के तहत आने वाले ख्याति प्राप्त संस्थाएं जो इस कार्य में रूचि रखती हो, उन्हें भी व्यवस्था सौंपी जा सकती है।
3. बी0ई0सी0/एस0एम0डी0सी0/नगर पालिका/नेहरू युवा केन्द्र से मान्यता प्राप्त यूथ क्लब एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता है।
4. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थायें जिनके मूल उद्देश्य समाज सेवा है और स्वेच्छा से कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़ना चाहती है।
5. धार्मिक जनसेवी संस्था जिनका कार्यक्षेत्र न्यूनतम 02 राज्यों तक विस्तारित हो। उच्च स्तर के कॉर्पोरेट ट्रस्ट को भी कार्य सौंपा जा सकता है।
6. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थायें जिनका पास मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के स्वरूप व आवश्यकता के अनुसार इसके सुचारू क्रियान्वयन व नियोजन हेतु आवश्यक आधारभूत संस्थागत व्यवस्था(उदाहरण के तौर पर योग्य प्रबंधन, पोषण आहार विशेषज्ञ की उपलब्धता, अनुभवी निरीक्षणकर्ता आदि) तथा अंधोसंरचना सुविधा (उदाहरण के तौर पर भोजन पकाने हेतु बर्तन, किचनशेड, परिवहन सुविधा आदि) उपलब्ध है। यदि किसी संस्था के पास पूर्व से किचिनषेड नही है, तो चयनित संस्था को एक माह की समयावधि में किचिनषेड तैयार करना होगा।
7. ऐसी स्वयंसेवी /अशासकीय संस्थायें जो कार्यक्रम के संपादन हेतु संस्थागत व्यय एवं अन्य व्यय के साथ भोजन पकाने एवं वितरण पर होने वाले व्यय को भी वहन कर सकती हैं और यदि भोजन पकाने एवं वितरण पर होने वाले व्यय को नहीं वहन कर सकती है तो शासन द्वारा निर्धारित मेनू अनुसार भोजन पकाने पर प्रतिदिन प्रति छात्र होने वाले निर्धारित व्यय के अनुसार कार्य करने को सहमत हैं तथा इस व्यय को छोड़कर संस्थागत व्यय तथा अन्य समस्त प्रकार का व्यय स्वयं वहन कर सकती है।
8. ऐसी स्वयंसंवी/अशासकीय संस्थायें जिन्हें समाज सेवा के क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदीर्घ अनुभव प्राप्त हैं और समुचित प्रतिष्ठा रखती हैं। (संस्था द्वारा संपादित कार्यों का आकलन उसकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में व्यय के विरूद्ध अंकित विविध घटकों के विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिये)।
9. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थायें जिनकी कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली तथा सौंपे गये कार्यों के परिणाम कभी भी संदेहास्पद और विवादित न रहे हों।
10. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव में व्यवस्थापक/गवर्निंग बॉडी की क्षमता एवं कार्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
11. स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में संस्था की स्थापना, व्यवस्था में कार्य करने वाले उन सभी कार्यालयों/विभागों के नाम एवं उनकी भूमिका व उत्तरदायित्वों का भी स्पष्ट उल्लेख हो।
12. संस्था के पास आवष्यक मषीनरी पर्याप्त मात्रा तथा पर्याप्त क्षमता की उपलब्ध हो। मषीनें जो **Standard Specification** की हो। मषीनों की पर्याप्त **Self life** हो तथा 05 वर्ष से ज्यादा पुरानी न हो।

13. संस्था को शहरी क्षेत्र की प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु भोजन वितरण केन्द्रीकृत रसोईघर से संचालित करने की अनुमति ही प्रदान की जावेगी।
14. केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालन करने वाली संस्था का स्थान उनके केन्द्रीयकृत किचिनषेड से संबंधित आवंटित /संलग्न संस्थाओं से 15 किमी अधिक दूर नही होना चाहियें।
15. परिवहन, पैकेजिंग के लिए प्रमाणित मषीने तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। फूड क्वालिटी चेक करने के लिए पोषण विषेषज्ञ उपलब्ध हो।
16. संस्था द्वारा प्रस्तावित वर्ष के पूर्व पाँच वर्ष का ऑडिट कराया गया हो। संस्था ब्लेक लिस्टेड न हो।
17. संस्था को भोजन पकाने एवं वितरण करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव (किसी संस्थान का) अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण–पत्र निजी संस्था होने पर रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी/कलेक्टर के द्वारा तथा शासकीय संस्था होने पर संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो। आवष्यक होने पर अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी के माध्यम से कराया जा सकता है। सत्यापन में होने वाला व्यय संस्था वहन करेगी।
18. संस्था को कम से कम 200 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन पकाकर वितरित करने का अनुभव हो।
19. संस्था द्वारा निष्पादित अनुबंध में विद्यार्थियों को वितरित किये जा रहे भोजन की गुणवता एवं मात्रा की जाँच के लिये भोजन पकाने वाले स्थान पर भोजन को डिब्बों में पैकिंग करने के लिये सुपरवाईजरी स्टाफ की व्यवस्था संस्था को करना होगी जो विद्यार्थियों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के साथ पके हुये भोजन की मानक मात्रा को प्रमाणित करेगा। पका हुआ भोजन एवं भोजन सामग्री का निरीक्षण जिला स्तर से जन प्रतिनिधियों तथा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर किया जावेगा।
20. संस्था का विगत <u>पांच वर्ष</u> का सीए द्वारा आडिट किया गया हो। आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
21. संस्था को आवेदन पत्र के साथ राशि <u>रू. दो लाख</u> धरोहर राशि का डीडी/बैकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से जमा करना अनिवार्य है। जो कि ईओआई स्वीकृति/अस्वीकृति के दो माह पश्चात वापिस की जावेगी।
22. संस्था को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन साप्ताहिक मीनू का पूर्ण ज्ञान/जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है।

    lL%kk d&n';d! fdf)u vko';d e'k'uj' t'l+ :–

    - खाद्यान्न संग्रहण हेतु वैज्ञानिक व्यवस्थायुक्त संग्रहण स्थल अनिवार्य होगा।
    - आटा गूथने की मशीन, गेहूँ बीनने व आटा पीसने की मशीन प्लांट पर लगानी होगी।
    - बायलर क्षमता 1000 से 1500 लीटर होनी चाहिये।
    - आटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन, क्षमता कम से कम 10000 रोटी प्रति घण्टा हो।
    - 500 लीटर के प्रेसर कुकर कम से कम 3 आदि स्थापित करने मे भी सक्षम हो। संस्था के पास विद्यालयों में गर्म भोजन प्रदान करने हेतु हॉट कंटेनर की प्रर्याप्त व्यवस्था करने में भी सक्षम होना चाहिये।
23. संस्था आंवटित सैक्टर की विद्यालयों में प्रतिदिन समय पर भोजन प्रदान करने हेतु परिवहन व्यवस्था पूर्ण करने में सक्षम हो। सुवह एवं दोपहर की पाली (षिफ्ट) अनुसार गर्म एवं पका हुआ भोजन समयानुसार प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
24. संस्था को विदिषा शहरी क्षेत्र शालाऐं 58 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज विद्यार्थी लगभग 6112/ऑगनवाड़ियों में दर्ज बच्चों/गर्भवती धात्री महिलाओं की लगभग संख्या 13729 के लिये मध्यान्ह भोजन हेतु ईओआई आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकतानुसार शालाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या घटाई एवं बढाई जा सकती है।
25. पूर्व दिवस की उपस्थिति पर प्रदाय भोजन यदि अतिरिक्त छात्र उपस्थिति होने पर कम होता है तो षिक्षक की मांग पर मध्यान्ह भोजन की पूर्ति तद् समय की जाना होगी एवं समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

26. समस्त खाद्य सामग्री मानक गुणवत्ता की होनी चाहिये। जैसे मसाले आदि एगमार्क युक्त।
27. संस्था के द्वारा अनियमितता पाये जाने पर शासन के निर्देशानुसार राशि की कटौत्रि अथवा संस्था को ब्लेक लिस्ट भी किया जा सकता है।
28. संस्था द्वारा श्रम कानून का पालन किया जावेगा।
29. चयनित संस्था द्वारा हर माह उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रक्रिया अनुरूप प्रस्तुत करने होगे।
30. संस्था द्वारा निर्धारित राशि एवं खाद्यान्न के अतिरिक्त मांग नही की जावेगी।
31. निर्धारित राशि में समस्त प्रकार के व्यय सम्मिलित रहेगें।
32. संस्था का कार्यकाल गठित समिति के द्वारा कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अनुशंसा उपरांत बढाया जावेगा।
33. संस्था को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिषा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित करना होगा।
34. चयनित संस्था का अनुबंध प्रथम बार में दो वर्ष के लिये होगा। विस्तार उपरांत एक बार में एक वर्ष के लिये किया जाएगा। अनुबंध का विस्तार संस्थाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण के कार्य का आकंलन कर संतोषजनक रिर्पोट के आधार पर किया जावेगा।
35. अनुबंधित संस्था द्वारा मध्यान्ह भोजन के मेनू का पालन, भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, भोजन की स्वच्छता निर्माण के समय शुद्वता इत्यादि के आधार पर शालाओं से एक प्रतिवेदन बुलाया जावेगा। जिसके आधार पर जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संस्था के अनुबंध विस्तार की प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी।
36. संस्था द्वारा शालाओं तक भोजन सुरक्षित पहुंचाने के लिये जिम्मेदार रहेगी एवं इसके लिए आवश्यक तैयारी करेगी।
37. समय–समय पर शालाओं से फीडबैक प्राप्त करेगी एवं अनुबंध कर्ताओं को इससे अवगत भी करायेगी।
38. संस्था द्वारा प्रदाय किये गये भोजन का सेम्पल नियमित रूप से संधारित किया जावेगा।
39. lL%kk dk);u 'kklu ,kjk fu-kkfj! lfef! ,kjk fd;k tko.k ftldk fu/k; vf!e k.k0

जिले की शहरी परियोजना एवं समस्त नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाले ऑगनवाड़ी केन्द्रो में पोषण आहार वितरण हेतु विज्ञप्ति।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र क्र.एफ–3–2/09/50–02 भोपाल दिनांक 29.08.2009 की कंडिका क्र.7 एवं म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के नवीन पत्र क्रमांक एफ 4–5/2014/50–2 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2014 के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश शासन महिला एंव बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र/एफ4–5/2016/50–2 भोपाल दिनांक 09.12.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जिले के आंगनबाडी/उप ऑगनवाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को रेडी टू ईट नाश्ता प्रदाय के सबंध में पोषण आहार वितरण हेतु विज्ञप्ति जारी की जा रही है। पोषण आहार मिनू निम्नानुसार है।

क.	लक्ष्य समूह	भोजन	समय	दर	प्रोटीन /कैलोरी	मेनू
1.	3 से 6 वर्ष तक के आंगनबाडी में दर्ज बच्चें	नाश्ता	प्रातः 9. 30 से 10.30 के मध्य	नाश्ता/भोजन सहित राशि रूपये 6 प्रति बच्चा प्रति दिवस	1. 12–15 ग्राम 2. केलोरी 500 ग्राम	परिशिष्ठ 1 में दिये सांकेतिक मेनू अनुसार
2.		भोजन	अपरान्ह 12.30 से 1.30 के मध्य			

क.	लक्ष्य समूह	भोजन	समय	दर	टिप्पणी
3.	3 से 6 वर्ष तक के आंगनबाडी में दर्ज अतिकम वजन के बच्चें	थर्ड मील	अपरान्ह 3. 30 से 4. 00के मध्य	रूपयें 3/– प्रति बच्चा प्रति दिवस	सोमवार,बुधवार, एवं शुक्रवार दोपहर का भोजन तथा मंगलवार,गुरूवार,एवं शनिवार को नाश्ता मेनू परिशिष्ट –01 में दिए अनुसार दिया जाएगा।
4.	गर्भवती,धात्री माता,किशोरी शक्ति योजना की बालिकाऐं	भोजन	अपरान्ह 12. 30 से 1.30 के मध्य	रूपयें 7/– प्रति गर्भवती,धात्री माता प्रति दिवस	**मेनू परिशिष्ट –01 अनुसार सप्ताह में एक दिन मंगलवार को।**

पूरक पोषण आहार हेतु मेन्यु परिशिष्ठ क्र 1

दिन	रेडी टू ईट सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	प्रोटिन (ग्राम)	कैलोरी
	रैसिपी	रैसिपी		
सोमवार	नमकीन मठरी, रागी लड्डू या पोष्टिक सूजी, वेसन लडडू में से प्रति सप्ताह एक रेसिपी	रोटी– सब्जी,तूअर दाल, खीर पूडी	12—15	
मंगलवार		मूगंबडी–आलू टमाटर सब्जी		
बुधवार		रोटी चनें की दाल मिक्स सब्जी		

गुरूवार		चावल पुलाव पकोडे वाली कढी		
शुक्रवार		रोटी—मूँगदाल —हरे या सूखे मटर की सब्जी		500
शनिवार		पराठा—सीजनेबल हरी सब्जी—मिक्स दाल		

रेडी टू ईट नाश्ता के अवयव तथा अनुमानित मात्रा का विवरण

परिशिष्ट क्रमांक — 2

(अ) पौष्टिक सूची / बेसन लडडू :—
(प्रति हितग्राही 02 नग)

क्र	विवरण	औसत मात्रा (ग्राम)
1	सूजी	5.2
2	बेसन	2.6
3	तिल	1.3
4	दूध	12.9
5	गुड	10.3
6	तेल	7.7

(ब) पौष्टिक रागी लडडू :—
(प्रति हितग्राही 02 नग)

क्र	विवरण	औसत मात्रा (ग्राम)
1	रागी का आटा	16.7
2	मूंगफली दाना	5
3	गुड	16.7
4	तेल	1.7

(ब) पौष्टिक नमकीन मठरी :—
(प्रति हितग्राही 02 नग)

क्र	विवरण	औसत मात्रा (ग्राम)
1	गेंहु का आटा	25.0
2	वेसन	6
3	तेल	9
4	मसाले (हींग/नमक/हल्दी एवं अन्य मसाले)	—

पर्व का मेन्यू

क.	लक्ष्य समूह	भोजन	समय	दर	टिप्पणी
3.	3 से 6 वर्ष तक के आंगनबाडी में दर्ज अतिकम वजन के बच्चें	थर्ड मील	अपरान्ह 3. 30 से 4. 00के मध्य	रूपयें 3/— प्रति बच्चा प्रति दिवस	सोमवार,बुधवार, एवं शुक्रवार दोपहर का भोजन तथा मंगलवार,गुरूवार,एवं शनिवार को नाश्ता मेनू

					परिशिष्ट –01 में दिए अनुसार दिया जाएगा।
4.	गर्भवती,धात्री माता,किशोरी शक्ति योजना की बालिकाऐं	भोजन	अपरान्ह 12. 30 से 1.30 के मध्य	रूपयें 7/– प्रति गर्भवती,धात्री माता प्रति दिवस	मेनू परिशिष्ट –01 अनुसार सप्ताह में एक दिन मंगलवार को।

रिमार्क

1– पोष्टिक लडडू/नमकीन मठरी/ के बनने के उपरांत 02 नग की मात्रा लगभग 50 ग्राम की होना चाहिए।

2– मठरी हींग नमक हल्दी एवं तेल के मोयन मिला कर तैयार की जावे।

3– हितग्राहीयों की रूचि एवं स्वादानुसार अवयवों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है।

1. स्वसहायता समूह द्वारा दिये जाने वाले रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन की दर एवं प्रोटिन केलोरी की मात्रा पूर्ववत निम्नानुसार रहेगी।

2. रेडी टू ईट नाश्ते के रूप में पोष्टिक सूजी, वेसन लडडू/रागी लडडू/नमकीन मठरी अलग अलग दिवस में दी जाना है। जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं हितग्राहियों की रूचि अनुसार रेडी टू ईट नास्ते में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। नाश्ता/भोजन में न्युनतम 12 से 15 ग्राम प्रोटिन एवं 500 केलोरी अनिवार्यतः होनी चाहिए। रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन का सांकेतिक मेनू परिशिष्ठ 1 पर एवं रेटी टू ईट नास्ते के अवयव तथा अनुमानित मात्रा का विवरण परिशिष्ठ 02 पर संलग्न है।
3. दोपहर के भोजन का मेनू प्रत्येक ऑगनवाड़ी /उप ऑगनवाडी केन्द्र पर मध्यान्ह भोजन के मेनू एवं रेसिपी अनुसार ही पूर्ववत रहेगा। अर्थात इसमें रोटी, चावल, दाल , सब्जी दी जायेगी। ऑगनवाडी केन्द्रो में प्रदत्त किये जाने वाला पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन रूचिकर एवं स्वादिष्ट होना चाहिए। रेडी टू ईट नाश्ता एंव दोपहर के भोजन की स्वच्छता एवं सुपाचता का विशेष ध्यान रखा जाये।
4. स्वसहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट नाशता साप्ताहिक रूप से निर्धारित मात्रा में तैयार कर ऑगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर प्रदाय किया जायेगा। स्वसहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजना प्रदाय करते समय वर्तमान व्यवस्था अनुसार प्राप्ति की पावती ऑगनवाडी कार्यकर्ता से प्राप्त करना होगी। पावती पर कार्यकर्ता समय एवं नाश्ता एंव भोजन की मात्रा अकित करेगी।
5. पूरक पोषण आहार व्यवस्था के सबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य शर्ते यथावत रहेगी।
6. पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन) में कोई कठिनाई आती है तो जिला स्तर पर कठिनाइयों का निराकरण हेतु जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

वर्तमान में विदिशा शहरी/नगरीय ऑगनवाड़ी केन्द्रो की संख्या

परियोजना का नाम	ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या	प्राथमिक शाला/ माध्यमिक शाला / मदरसा	रिमार्क
विदिशा श.	167	58	—

स्वसहायता समूह/महिला मण्डल के चयन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड होना अनिवार्य है।

1- संस्था को न्युनतम 5000 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन पकाकर वितरित करने का 3 वर्ष का अनुभव हो।
2- संस्थाओं का पंजीयन विधिवत किया गया हो, तथा पंजीयन जीवित हो।
3- अंतिम चयनित संस्था को अधिकतम 2 माह की समयावधि में पूर्ण अधोसंरचना , मशीनरी सहित केन्द्रियकृत किचिनशेड स्थापित करना होगा।
4- स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थाओं को 5 वर्ष का ऑडिट होना अनिवार्य है।
5- पर्याप्त मात्रा तथा पर्याप्त क्षमता की आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता एवं मशीने 5 वर्षो से अधिक पुरानी न हो।
6- संस्था के पास मशीनरी स्थापित करने के लिए अधोसंरचना जैसे जमीन,भवन,शेड आदि की उपलब्धता हो।
7- पोषण विशेषज्ञ की उपलब्धता हो।
8- सस्था का न्युनतम टर्नओवर 50 लाख से कम नही होना चाहिए।
9- भोजन के स्वास्थ्यकर परिवहन हेतु संस्था के पास स्वयं के वाहन हो।

dyDVj
ftyk $fofn'kk ¼e1i1½